कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल
KUMAUN UNIVERSITY, NAINITAL (UTTARAKHAND)

पत्रांक – डी0आई0सी0 / 2020 / 1039 / 519, दिनांक – 16.02.2021

सर्वोच्च वरीयता

सेवा में,

1.निदेशक
डी0 एस0 बी0 परिसर, नैनीताल
/ एस0 एस0 जे0 परिसर, अल्मोड़ा।

2. प्राचार्य / प्राचार्या
समस्त महाविद्यालय / संस्थान,
(सम्बद्ध कुमाऊँ विश्वविद्यालय)।

महोदय,

कुमाऊँ विश्वविद्यालय की शैक्षणिक सत्र 2020–21 में स्नातक / स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु प्रवेश नियम आपको प्रेषित किये जा चुके हैं। उक्त प्रवेश नियमों के अध्याय–1 के बिन्दु सं0–1–16 (ग) निम्नवत संशोधित किया जाता है –

पूर्व नियम –

(ग) **व्यवसायिक कक्षाओं में प्रवेश हेतु -**

प्रवेश नियमों के अन्तर्गत रहते हुए किसी भी विद्यार्थी को इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त -

1. शिक्षा में अवरोध होने की स्थिति में अभ्यर्थी को 02 वर्षों के भीतर व्यवसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना अनिवार्य होगा।
2. अभ्यर्थी की शिक्षा में अवरोध न होने की स्थिति में स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश अनुमन्य होगा किन्तु विद्यार्थी को प्रवेश योग्यता सूची के आधार पर व कक्षा में स्थान रिक्त होने पर दिये जायेंगे (योग्यता सूची तैयार किये जाने हेतु प्रत्येक वर्ष के लिये विद्यार्थी की इन्टरमीडिएट परीक्षा के प्राप्तांकों में से 05 प्रतिशत अंक कम किये जायेंगे।)
3. स्नातक कक्षाओं में प्रथम बार प्रवेश लेने की तिथि से स्नातक स्तर पर (बी0 एड0 पाठ्यक्रम को छोड़कर) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमानुसार N+2 वर्षों की अवधि के अन्तर्गत ही अनुमन्य होगा। यहाँ पर N (वर्ष) पाठ्यक्रम की कुल अवधि है।
4. बी0 एड0 पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने की तिथि से 03 वर्ष (06 सेमेस्टर - N+1) का अध्ययनकाल ही अनुमन्य होगा।

संशोधित नियम –

(ग) **व्यवसायिक कक्षाओं में प्रवेश हेतु -**

प्रवेश नियमों के अन्तर्गत रहते हुए किसी भी विद्यार्थी को अर्हता पाठ्यक्रम की परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त -

1. अभ्यर्थी को स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश अनुमन्य होगा किन्तु विद्यार्थी को प्रवेश योग्यता सूची के आधार पर व कक्षा में स्थान रिक्त होने पर दिये जायेंगे (योग्यता सूची तैयार किये जाने हेतु प्रत्येक वर्ष के लिये विद्यार्थी की अर्हता पाठ्यक्रम की परीक्षा के प्राप्तांकों में से 05 प्रतिशत अंक कम किये जायेंगे।)
2. स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रथम बार प्रवेश लेने की तिथि से स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर (बी0 एड0 पाठ्यक्रम को छोड़कर) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमानुसार N+2 वर्षों की अवधि के अन्तर्गत ही अनुमन्य होगा। यहाँ पर N (वर्ष) पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित न्यूनतम अवधि है।
3. बी0 एड0 पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने की तिथि से अधिकतम 03 वर्ष (N+1) का अध्ययनकाल ही अनुमन्य होगा। यहाँ पर N (वर्ष) पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित न्यूनतम अवधि है।"

आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त संशोधन के अनुसार स्नातक / स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश प्रक्रिया सम्पादित कराने का कष्ट करें। कृपया उक्त कार्य को वरीयता प्रदान करने का कष्ट करें।

भवदीय
Sanjay Pant 16/02/2021
निदेशक, डी0आई0सी0

प्रतिलिपि – निजी सचिव कुलपति को माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ प्रेषित।

Sanjay Pant 16/02/2021
निदेशक, डी0आई0सी0